संख्या – 1642/आठ–4–06–137एन/2004

प्रेषक,

के.एल. मीना,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3– उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनाक : 04 अगस्त, 2006**

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेशों में संशोधन/सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1818/आठ–4–04–262 एन/04 दिनांक 18–04–05 तथा शासनादेश संख्या–1364/आठ–4–2006–137एर/2004 टी0सी0 दिनांक 30–06–06 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को विनियमित न किया जाय। अतः अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने के संबंध में उपर्युक्त शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704एन/97 दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 के पूर्ण प्रस्तर–7 और शासनादेश संख्या–2873/9–आ–4–02 –152एन/2000 टीसी, दिनांक 10–12–02 के प्रस्तर–5 में की गयी व्यवस्था को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 01–12–98 और दिनांक 10–12–02 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेगें तथा शेष नजूल फ्री–होल्ड नीति की अन्य वयवस्थाएं यथावत् रहेंगी।

3– उक्त आदेश तात्काकि प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

के0एल0 मीना

सचिव

संख्या– (1)/आठ–4–06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिाति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5– समस्त विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।

6– समस्त स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश।

7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव